प्राक्कथन

न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) भारत सरकार (जीओआई), परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के प्रशासनिक नियंत्रंण के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है जो कि 17 सितम्बर 1987 को गठित हुआ था। यह भारत में नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टरों के डिजाइन, निर्माण, संस्थापन और परिचालन के लिए उत्तरदायी है। कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना (केकेएनपीपी) एनपीसीआईएल द्वारा जिला तिरूनवली, तमिलनाडू में कार्यान्वित किया जा रहा है जिसके तहत रूसी संघ के सहयोग से विभिन्न चरणों में प्रत्येक 1000 मेगावॉट (मे. वा.) के लिए छः परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई गई थी। प्रथम चरण में, इकाई I और II के निर्माण की योजना बनाई गई थी।

लेखापरीक्षा ने केकेएनपीपी की इकाई I और II की निष्पादन लेखापरीक्षा, यह निर्धारित करने के उद्देश्य से किया था कि क्या एनपीसीआईएल द्वारा ईकाई I और II के निर्माण/संस्थापन मे विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन का प्रयोग किया गया था और क्या परियोजना को सक्षमता से लागू किया गया था।

यह प्रतिवेदन परियोजना की ईकाई I और II के संस्थापन और कार्यान्वयन में बड़ी संख्या में कमियों का उल्लेख करता है जैसे उधार राशियों पर ब्याज का परिहार्य भुगतान, ऋणों को प्राप्त करने मे गैर-पारदर्शिता, टैरिफ का गलत निर्धारण, विदेशी सहयोगी साझेदार को अनुचित लाभ प्रदान करना, परिणामी परिहार्य व्यय के साथ श्रमबल का गैर-निर्धारण, अपर्याप्त निगरानी और सक्षम अधिकारियों से परिचालित करने के लिए आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करने से पहले संयत्र का वाणिज्यिक परिचालन। इसके परिणमास्वरूप, परियोजना की लागत में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई और इकाईयों के संस्थापन में पर्याप्त विलम्ब हुआ।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, भारत के नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक के निष्पादन लेखापरीक्षण दिशा-निर्देश 2014 और लेखापरीक्षा और लेखाओं के विनियम 2007 के अनुसार तैयार की गई है।